

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

18-5-21

उक्त पत्र उपरोक्त पत्रावली अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29-6-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/ध्विक्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो।

14-10-21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान केस
फरराड़िया से पेश हुई अप्रार्थीगण के सम्मन
बाद तामिल लेकर प्राप्त हुए जिले शा.प
पठ किये गये। व्याव बहसीलदार से माँका
रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शा.पठ किया गया।
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
निर्णय सूचक से लिखा जाकर शा.पठ किया
गया। पत्रावली के संल सुमार लेकर नम्बर से
कम हो।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

गोठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

संख्या :- 181/2 प
 A दिनेश कुमार सोनेनी वार् महाजन निवासी - जवाहरात तहसील - माण्डल
 -- प्रार्थी

बनाम
 B माण्डल सो काना शुर्जर निवासी - सोडास तहसील - माण्डल (गंगा)
 -- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

:: आदेश ::

दिनांक 14-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
 वेदन किया कि ग्राम.....सोडास.....पटवार हल्का.....कबराडाडा.....तहसील मांडल/में उसके
 खते /संयुक्त खातों की आराजी नं.....410, 436, 437, 438.....कुल किता07.....
 रकबा.....07 बीघा.....हेक्टेयर.....1.5.....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी
 तदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते
 संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....28-10-20.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
 अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का
 अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा
 नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
 सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....सोडास.....
 पटवार हल्का.....कबराडाडा.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....410, 436, 437, 438,
439, 441, 442.....कुल किता07.....रकबा.....07 बीघा.....हेक्टेयर.....1.5.....
 भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।
 पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....आनंद.....को.....800/-.....
 रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें।
 कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील
 बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
 उपखण्ड अधिकारी
 मांडल, जिला-भीलवाड़ा
 प्रशासन गाँवों के संग अधिवान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी को
 जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
 मांडल, जिला-भीलवाड़ा
 प्रशासन गाँवों के संग अधिवान 2021